कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस-नोट

दिनांक-12/06/2024

विषयः-थाना सिगरा पुलिस द्वारा नाबालिक लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार अपहृता/पीडिता बरामद।

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस उपायुक्त काशी जोन व श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त जोन काशी व सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज तथा प्रभारी निरीक्षक सिगरा के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर थाना सिगरा पर पंजीकृत अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त शोएब अली उर्फ गिलहरी पुत्र मुस्ताक अहमद निवासी म0न0 सी- 15/48 लल्लापुरा माताकुण्ड थाना सिगरा जनपद वाराणसी उम्र करीब 21 वर्ष को रोडवेज पानी टंकी के पास थाना क्षेत्र सिगरा से दिनांक 12/06/2024 को गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना सिगरा पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरणः-

आवेदिका द्वारा दिनांक 06/06/2024 को थाना स्थानीय पर इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनकी पुत्री (नाम काल्पनिक) उम्री 14 वर्ष को दिनांक 3 जून दोपहर 3 बजे से शोएब उर्फ गिलहरी पुत्र पप्पू निवासी म.न. C 15/48 लल्लापुरा थाना सिगरा जनपद वाराणसी द्वारा मेरे घर से बिना बताये लेकर चला गया है मुझे डर है कि कहीं मेरी बेटी के साथ कुछ अनहोनी न हो जाये। शोएब कई लोगों की जिन्दगी बर्बाद कर चुका है कहीं मेरी लड़की की जिन्दगी बर्बाद न कर दें जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर अभियोग दर्ज है।

विवरण पूछतांछ -

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त से नाम व पता पूछने पर अपना नाम शोएब अली उर्फ गिलहरी पुत्र मुस्ताक अहमद निवासी म0न0 सी- 15/48 लल्लापुरा माताकुण्ड थाना सिगरा जनपद वाराणसी उम्र 21 वर्ष पूछने पर जुर्म को स्वीकार करते हुए बतला रहा है कि मैं पीडिता (नाम काल्पनिक) से काफी दिनों से प्रेम करता हूँ और वह भी मुझसे प्रेम करती है दिनांक 03/06/24 को दिन में करीब 03.00 बजे मैं उसे बहला फुसला कर शादी करने के बहाने गुजरात सूरत लेकर चला गया था और वहाँ पर एक किराये का मकान लेकर एक सप्ताह रहा उसके बाद गुजरात से वाराणसी वापस आया। आज मैं उसे लेकर पुनः बाहर जाने के लिए रोडवेज पानी टंकी के पास गली में अपने किसी मित्र का इन्तजार कर रहा था कि पुलिस वालो के साथ आये और पीडिता (नाम काल्पनिक) अपने माता- पिता के साथ चली गयी है मुझसे गल्ती हो गयी है अब दुबारा ऐसी गल्ती नहीं करूंगा। इस प्रकार अभियुक्त जुर्म को स्वीकार करते हुए अपने किये कि मांफी मांग रहा है। यही मेरा बयान है

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता व उम्र-

अभियुक्त शोएब अली उर्फ गिलहरी पुत्र मुस्ताक अहमद निवासी म0न0 सी- 15/48 लल्लापुरा माताकुण्ड थाना सिगरा जनपद वाराणसी उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

अभियोग से सम्बन्धित पीडिता सकुशल बरामद।

गिरफ्तार/सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. श्री राजू सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 श्री हरिकेश सिंह चौकी प्रभारी लल्लापुरा थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी।
3. कां0 ओमप्रकाश सिंह थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी।
4. कां0 शिवराम थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी।
5. म0कां0 मलिका सिंह थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त काशी जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।